(158)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर,(म0प्र0)

I/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/02201

आलोक पुत्र स्व0श्री डी0एस0मिश्रा
निवासी जबलपुर नाका सूर्योदय स्कूल
के पास जिला-दमोह(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

1.म0प्र0शासन
द्वारा-अपर कलेक्टर दमोह
2.भीकम तनय श्री बालचंद यादव व वास्ते ना.बा.पुत्र कुल्दीप
3.अर्चना यादव तनय श्री भीकम यादव
सभी निवासी बजरिया वार्ड नं02 दमोह,
जिला-दमोह(म0प्र0) ......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0379अ/6 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनाँक 08.03.2018 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र02 व 3 ने एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी भूमि स्थित ग्राम करोंदी ख0नं086 रकवा 3.245 एवं ख0नं026रकवा 3.503हे0 का मालिक है, उक्त भूमि बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान नक्शा एवं रकवा में त्रुटि हो गयी है जिसे सुधार किया जावे। अनावेदक क्र02,3 के उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को आवेदन जाँच कर प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु लेख किया जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को आहुत किये बिना ही अपना प्रतिवेदन दिनाँक 29.01.16 को तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ प्रेषित किया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनाँक 16.02.16 को प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया किंतु अपर कलेक्टर ने उक्त

Page-3Cont-----

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2201/1/2018 दमोह / भू.रा. 1959 जिला आलोक व मीकम, अर्चन व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.1.19	(1) आवेदक अभि. श्री सुनील जादौन व अनावेदक क्र. 2,3 के अभि. श्री सत्येन्द्र धाकड़ व शासकीय अभि. श्री अशीष (माहवर अनुपस्थित) को सुना गया। (2) यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 8/3/18 के विरुद्ध आवेदक आलोक के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अपर आयुक्त के द्वारा जिला न्यायाधीश दमोह के व्यवहार अपील नं. 100036/15 में पारित आदेश दि. 26/7/16 के अनुक्रम में अपील समाप्त की गयी है। अपर आयुक्त का आदेश बोलता हुआ (Speaking) आदेश नहीं है। (3) प्रकरण में तथ्य यह है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में वाद क्र. 07/A/14 में पारित आदेश दि. 28/9/15 से वादी मीकम (अनावेदक क्रमांक 2) का स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा घोषित करने का वाद निरस्त किया गया। उक्त आदेश को जिला न्यायाधीश के द्वारा भी दिनांक 26/7/16 के आदेश से स्थिर (Maintain) रखा। (4) अपर आयुक्त ने गुण-दोष (Merit) के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः अपर आयुक्त को	12-3-19 11-1-19 noted 12/3/19 Ashish ... (G.A.) 12.3.19

प्र.क्र. 2201/1/2018/निगरानी/दमोह भू.रा.संहिता 1959
आलोक Vs मुकेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	पूर्व पृष्ठ से गुण-दोष के आधार पर प्रकरण के निराकरण हेतु अधीनस्थ अपर आयुक्त सागर संभाग सागर की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है। (5) उभयपक्ष दिनांक 12-03-2019 को अपर आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित हों। CF. 12-03-2019 (अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में) [signature] 11.01.19	